

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़. (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

डॉ. अंजलि राजौरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
09/2021	2021/23	03.12.2021	22.07.2024

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:- अपीलार्थी

:- बनाम :-

1. श्री गजराज सिंह पुत्र बलवंत सिंह जाति राजपुत निवासी पाटनिया तहसील एवं जिला प्रतापगढ़
2. श्रीमान शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा घोटारसी तहसील एवं जिला प्रतापगढ़

:- प्रत्यर्थी/रेस्पोजेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध विवादित नामान्तरकरण संख्या 01 दिनांक 02.02.2019 (शुद्धिपत्र) एवं 283 दिनांक 14.06.2019 (रहननामा) के संबंध में

उपस्थिति :-

1. श्री पैराकार सरकार
2. एक तरफा विरुद्ध प्रत्यर्थी/विपक्षीगण

:- आदेश :-

दिनांक :- 22.07.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी पैराकार सरकार तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध विवादित नामान्तरकरण संख्या 01 दिनांक 02.02.2019 (शुद्धिपत्र) एवं 283 स्वीकृत दिनांक 14.06.2019 (रहननामा) के संबंध में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बरखेड़ी पटवार हल्का बसेरा तहसील प्रतापगढ़ के पुराना खाता संख्या 83 नवीन खाता संख्या 92 में दर्ज आराजी संख्या 120 रकबा 0.15 हैक्टर एवं आराजी संख्या 130 रकबा 0.13 हैक्टर तथा आराजी संख्या 131 रकबा 0.38 हैक्टर एवं आराजी संख्या 132 रकबा 0.24 हैक्टर तथा आराजी संख्या 140 रकबा 1.56 हैक्टर एवं आराजी संख्या 141 रकबा 0.08 हैक्टर कुल कित्ता 06 सम्पूर्ण रकबा 2.54 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2073-2076 के अनुसार खातेदार श्री वरदीचन्द्र पिता धुरा मेघवाल निवासी बरडिया गोयल तहसील जावरा जिला मन्दसौर (म.प्र) के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिसे तत्कालिन पटवारी पटवार हल्का बसेरा (श्री शक्ति सिंह राजपूत) द्वारा दौराने सेग्रीगेशन (DILRMP योजना के तहत ऑफ लाईन से ऑन लाईन रिकार्ड संधारण) कार्यवाही के समय पुर्ण लापरवाही व अनियमितता के साथ संबंधित गिरदावर एवं तहसीलदार के स्वयं के द्वारा हस्ताक्षर करते हुए उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन रेस्पोजेन्ट संख्या -1 के नाम अंकन करा दिया। जबकि उक्त भूमियां अनुसूचित जाति संवर्ग के काश्तकारों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहते हुए ऐसी भूमियों का अन्तरण सामान्य जाति संवर्ग के सदस्यों के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता था।

साथ ही उक्त भूमियों के अवैधानिक अन्तरण के पश्चात् रेस्पोजेन्ट संख्या-1 द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या-2 से बिना किसी समुचित जांच कार्यवाही किये और कराये ऋण प्राप्त करते हुए रहननोट भी रिकार्ड पर लगवा दिया। उक्त कार्यवाही के विषय में अपीलार्थी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री

महोदय राजस्थान सरकार के समक्ष प्रस्तुत परिवेदना की पालना में जिला कलक्टर महोदय द्वारा दिनांक 29.09.2020 के द्वारा मामले की समुचित जांच हेतु गठीत कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 10.03.2021 से समुचित तथ्य सामने आने के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तरकरणों को निरस्त फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोंडेन्टगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामिल रिपोर्ट उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं जिससे रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस अन्तिम अपीलार्थी सूनी गई। दौरान बहस अपीलार्थी पैरोकार सरकार द्वारा अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि राजकीय योजना DILRMP का फायदा उठाते हुए पटवारी द्वारा वक्त सेग्रीगेशन कार्यवाही राजस्व रिकार्ड में पूर्व से दर्ज अनुसूचित जाति संवर्ग के खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड को ऑफ लाईन से ऑन लाईन अन्तरण करते वक्त सामान्य जाति संवर्ग के नाम दर्ज किया जाना तथा उक्त आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज सामान्य जाति संवर्ग के अवैध खातेदार द्वारा उक्त भूमियों पर अन्याया ऋण लेते हुए उक्त भूमियों पर रहनदर्ज करा लिया जाना सर्वदा अनुचित रहा है। जिसके संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भी प्राप्त होकर रिकार्ड पत्रावली उपलब्ध है। अतः अपील अपीलार्थी तत्काल स्वीकृत किया जाना अपेक्षित होकर राजस्व रिकार्ड में सुधार अति-आवश्यक है।

बहस पर मनन किया गया तथा रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें प्रस्तुत अपील में दिनांक 22.06.2021, शुद्धि पत्र नकल नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 01 दिनांक 02.02.2019 एवं नकल नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 283 स्वीकृत दिनांक 14.06.2019 (रहननामा) राजस्थान कृषि अधिनियम 1974 की धारा 6(1) के अधीन घोषणा पत्र दिनांक 30.05.2019, नवीन खाता संख्या 92 नकल जमाबंदी संवत् 2074-77, तहसीलदार प्रतापगढ़ रिपोर्ट दिनांक 10.03.2021 के साथ साथ पत्रावली पर उपलब्ध अन्य समस्त रिकार्ड दस्तावेजों का प्रकरण पर प्रचलित विधियों के साथ गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि तत्कालिन पटवारी पटवार हल्का बसेरा द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश एवं जानकारी के राजकीय योजना DILRMP के तहत वक्त सेग्रीगेशन कार्यवाही (ऑफ लाईन से ऑन लाईन रिकार्ड अपडेशन) के दौरान वास्तविक खातेदारों की भूमियों का अवास्तविक खातेदारों के नाम दर्ज कराया जाना प्रमाणित होता है तथा उक्त अवैधानिक अन्तरणों के आधार पर अवास्तविक खातेदारान द्वारा उक्त भूमियों पर ऋण लिया जाकर रहन दर्ज किया जाना भी अनुचित रहा है। प्रकरण में दर्शित रिकार्ड अनुसूचित जाति संवर्ग (मेघवाल जाति) के व्यक्ति की भूमि को रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 सामान्य जाति संवर्ग (राजपूत) के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना वैसे भी धारा 42 (ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में विहित प्रावधानों के अनुसार विपरीत रहा है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 द्वारा बिना किसी समुचित जांच के उक्त भूमि पर रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 को जारी की गई ऋण राशि के समाशोधन हेतु सक्षम न्यायालय स्तर पर कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कि जाकर विवादित शुद्धिपत्र नामान्तरकरण प्रविष्टि संख्या 01 दिनांक 02.02.2019 एवं 283 दिनांक 14.06.2019 (रहननामा) को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित नामान्तरकरण से प्रभावित भूमियों को सेग्रीगेशन से पूर्ववत् दर्ज खातेदारी रिकार्ड अनुसार अरासरेगों कार्यवाही के साथ नवीनताम स्थिति में रिकार्ड पर दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर लिपीबद्ध किया गया है।



(डॉ. अजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़